

**उ.म.रे. के सा. एवं सहा. नियम की संशोधन पर्ची सं.-73, दिनांक- 24.08.2022 का राजभाषा में अनुवाद**

- (संदर्भ: (i) संयुक्त निदेशक/सेफ्टी(ए&आर)/रेलवे बोर्ड का पत्र सं.- 2022/सेफ्टी(ए&आर)/19/20, दि.-28.07.2022 & भारत का राजपत्र संख्या-530, दिनांक-27.07.2022, मद सं.- 01 & 02.  
(ii) कार्यपालक निदेशक/ सिविल इंजीनियर (जी)/रेलवे बोर्ड का पत्र सं.- 70/डब्ल्यूडीओ/ओआरआइ/आरओ/IVol.VIII, दि.-28.07.2022, मद सं.- 03.  
(iii) वरि.मं.परि.प्रबं.(सम.)/प्रयागराज का पत्र सं.- टी/विविध संरक्षा/निर्देश/2022, दिनांक- 17.08.2022, मद सं.- 04.)

- 01.** वर्तमान सा.नि. 1.01(1) को हटाया जाता है और उसके स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाता है -  
(संशोधन पर्ची सं.- 73)  
सा.नि. 1.01(1) : इन नियमों को भारतीय रेल (चालित लाइनों) साधारण (दूसरा संशोधन) नियम, 2022 कहा जाएगा ।
- 02.** वर्तमान सा.नि. 4.08(1)(क) को हटाया जाता है और उसके स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाता है -  
(संशोधन पर्ची सं.- 73)  
सा.नि. 4.08(1)(क) : रेलवे के प्रत्येक सेक्शन में प्रत्येक रेलगाड़ी को उस गति सीमा के भीतर ही चलाया जाएगा, जो विशेष अनुदेशों द्वारा उस सेक्शन के लिए मंजूर की गई है ।
- 03.** नया स.नि. 4.08/3 निम्नानुसार जोड़ा जाता है - (संशोधन पर्ची सं.- 73)  
स.नि. 4.08/3 - रेल संरक्षा आयुक्त द्वारा पहले से खोले गए खंड के लिए सेक्शन की गति को 110 किमी प्रति घंटा तक बढ़ाते समय निम्नलिखित निर्देशों का पालन किया जाएगा-  
(i) क्षेत्रीय रेलवे के प्रमुख मुख्य अभियंता को रेल संरक्षा आयुक्त द्वारा पहले से खोले गए सेक्शन की गति को 110 किमी प्रति घंटा तक बढ़ाने की मंजूरी देने का अधिकार है ।  
(ii) इसके अलावा, क्षेत्रीय रेलवे द्वारा 'सेक्शन की गति' को 110 किमी प्रति घंटा से अधिक बढ़ाने के लिए रेल संरक्षा आयुक्त की मंजूरी ली जाएगी ।
- 04.** वर्तमान स.नि. 3.78/5 को हटाया जाता है और उसके स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाता है -  
(संशोधन पर्ची सं.- 73)  
स.नि. 3.78/5 - यदि लोको पायलट ने किसी सेक्शन में काफी समय से कार्य नहीं किया है, तब वह निम्नानुसार रोड लर्निंग प्राप्त कर मार्ग की पुनः जानकारी प्राप्त करेगा-

अनुपस्थिति की अवधि	रोड लर्निंग के लिए ट्रिप्स की संख्या	
	दिन में	रात में
तीन माह से अधिक	1	1
एक वर्ष से अधिक	2	1

सं.- याता/सामा./संशोधन पर्ची/22/20

दिनांक : 03.10.2022.

प्रतिलिपि :

1. प्रमुख कार्यकारी निदेशक (संरक्षा)/रेलवे बोर्ड/नई दिल्ली ।
2. सचिव महाप्रबंधक - महाप्रबंधक महोदय के सादर सूचनार्थ ।
3. प्रमुख मुख्य संरक्षा अधिकारी, प्रमुख मुख्य इंजी., प्रमुख मुख्य बिजली इंजी., प्रमुख मुख्य यांत्रिक इंजी., प्रमुख मुख्य सिगनल एवं दूर संचार इंजी./उत्तर मध्य रेलवे/प्रयागराज ।
4. प्रमुख मुख्य परिचालन प्रबंधक- उत्तर रेलवे, उत्तर पश्चिम रेलवे, पूर्व मध्य रेलवे, पूर्वोत्तर रेलवे एवं पश्चिम मध्य रेलवे ।
5. मंडल रेल प्रबंधक, प्रयागराज/झांसी/आगरा ।
6. वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक, प्रयागराज/झांसी/आगरा ।
7. प्राचार्य, क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान/चंदौसी/उत्तर रेलवे ।
8. प्राचार्य, बिजली प्रशिक्षण केंद्र/कानपुर/उत्तर मध्य रेलवे ।



(बिप्लव कुमार)

प्रमुख मुख्य परिचालन प्रबंधक



(बिप्लव कुमार)

प्रमुख मुख्य परिचालन प्रबंधक



(पृष्ठ संख्या-01, कुल एक पृष्ठ)